भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3759
दिनांक 12 अगस्त, 2025 / 21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राज्यों को राहत सहायता

†3759. श्री बापी हलदरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ अथवा चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई राहत सहायता का पश्चिम बंगाल राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में आई किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में पश्चिम बंगाल के कोई मुआवजा अथवा सहायता संबंधी अनुरोध लंबित हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे लंबित अनुरोधों के क्या कारण हैं और राज्य को शेष निधि कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, किसी भी आपदा से हुए नुकसान का आकलन और जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3759, दिनांक 12/08/2025

आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के मूल्यांकन और धनराशि जारी करने में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार ने गंभीर प्रकृति की किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद और राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत आईएमसीटी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए दिनांक 19.08.2019 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है न कि मुआवजे के लिए। एसडीआरएफ़/एनडीआरएफ़ के तहत पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को प्रदान की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) : मंत्रालय किसी भी आपदा के कारण हुए नुकसान का डेटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखता है। मंत्रालय द्वारा आधिकारिक अनुरोध के बावजूद, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ग) : नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3759, दिनांक 12/08/2025

अनुलग्नक

वर्ष 2022-2023 से 2024-25 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से जारी धनराशि का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	एसडीआरएफ में केंद्र का हिस्सा जारी			एनडीआरएफ से जारी (बाढ़ एवं चक्रवात सहित सभी आपदाओं के लिए)		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1.	आंध्र प्रदेश	940.00	987.20	1036.00	--	--	56.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	210.40	220.80	115.60	--	--	--
3.	असम	648.80	680.80	716.00	250.00	--	29.02
4.	बिहार	1189.60	1248.80	1311.20	--	--	--
5.	छत्तीसगढ़	181.60	181.60#	380.80#	--	--	33.24
6.	गोवा	9.60	9.60	10.40	--	--	31.50
7.	गुजरात	556.00	1140.00#	600.00#	--	--	--
8.	हरियाणा	412.80	433.60	455.20	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	342.40	360.80	378.40	214.26	787.25	84.56
10.	झारखंड	--	476.80#	1027.20#	--	--	--
11.	कर्नाटक	664.00	697.60	732.00	939.83	--	3528.45
12.	केरल	264.00	277.60	291.20	--	--	--
13.	मध्य प्रदेश	1528.80	1605.60	1686.40	--	--	--
14.	महाराष्ट्र	2706.40	2841.60	2984.00	--	--	--
15.	मणिपुर	35.20	18.80	50.00	--	--	12.15
16.	मेघालय	27.20	27.20#	59.60	--	--	11.98
17.	मिजोरम	39.20	41.60	43.20	--	--	18.36
18.	नागालैंड	34.40	36.80	38.40	107.31	--	181.81
19.	ओडिशा	1348.00	1415.20	1485.60	--	--	45.09
20.	पंजाब	416.00	436.80	458.40	--	--	29.60
21.	राजस्थान	1244.80	1307.20	1372.00	13.46	--	--
22.	सिक्किम	42.40	44.80	47.20	--	81.89	229.82
23.	तमिलनाडु	856.80	900.00	944.80	--	--	360.09
24.	तेलंगाना	188.80	584.80#	416.80	--	--	42.78
25.	त्रिपुरा	56.80	60.80	71.60	--	--	186.40
26.	उत्तर प्रदेश	812.00	1664.80#	1748.40#	--	--	172.95
27.	उत्तराखंड	787.20	826.40	434.00	--	--	21.30
28.	पश्चिम बंगाल	849.60	892.00	936.00	--	--	84.77
कुल		**16392.80**	**19419.60**	**19830.40**	**1524.86**	**869.14**	**5160.77**

पिछले वर्ष के SDRF के बकाया सहित।

*****